हि०प्र० भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, खलीनी, शिमला

बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों (कामगारों) (जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य निर्माण कार्य किया हो) को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण।

क्रं	योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
1.	शादी हेतु वित्तीय सहायता	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के स्वयं के विवाह हेतु मु0 35,000/–(पैंतीस हजार) रुपये तथा विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह हेतु मु035,000/–(पैंतीस हजार) रुपये प्रत्येक बच्चा सहायता देय है।
2.	मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा	दो माह की सदस्यता	1. पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिग 25,000/– (पच्चीस हजार) रुपये राशि देय होगी। 2. पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक, समय–समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश । 3. पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक छः हजार रुपये प्रति प्रसव की रकम ।
3.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत सदस्यों के दो बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष निम्न दर से सहायता प्रदान करेगाः–

क्र.	पाठ्यक्रम	राशि बालिका	राशि बालक
1.	प्रथम कक्षा से आठवीं स्तर तक	7,000.00	3,000.00
2.	नौवीं से 10+2 स्तर तक	10,000.00	6,000.00
3.	स्नातक कक्षाएंः (1) कला स्नातक (2) बी.एस.सी./बी.कॉम/बी.बी.ए. या इसके बराबर	15,000.00	10,000.00
4.	स्नातकोत्तरः (1) कला एवं वाणिजय संकाय (2) विज्ञान संकाय	20,000.00	15,000.00
5.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि : एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष	20,000.00	15,000.00
6.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे मैडिकल/इंजीनियरिंग इत्यादि। पी.एच.डी./अनुसंधान पाठ्यक्रम	35,000.00	25,000.00

क्रं	योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
4.	चिकित्सा सहायता	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए मु0 50,000/–रू. (पच्चास हजार) और अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मु01,00,000/–रू. (एक लाख) की सहायता राशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त गंभीर बीमारी के लिए मु0 5,00,000/–(पांच लाख रूपए) की सहायता राशि बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
5.	पैंशन सुविधा	बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व तीन वर्षो में लगातार लाभार्थी रहा हो।	पंजीकृत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पैंशन का हकदार होगा जो न्यूनतम राशी 1000/– (एक हजार रूपये) केवल प्रतिमाह देय रहेगी।
6.	अन्तिम संस्कार हेतु सहायता	सदस्यता	नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु0 20,000/– (बीस हजार) रुपये की राशि देय होगी।
7.	मृत्यु सहायता	सदस्यता	यदि पंजीकृत सदस्य की मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना से होती है तो नाम निर्देशितों/आश्रितों को मु0 4,00,000/– (चार लाख) रुपये की राशि दी जाएगी एवं प्राकृतिक मत्यु पर मु0 2,00,000/– (दो लाख) रूपये की राशि दी जाएगी।
8.	महिला साईकिल	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत महिला को बोर्ड द्वारा एक साइकिल प्रदान की जाएगी।
9.	कंबल, हॉटकेस टीफिन, स्टील का डिनरसैट तथा ऑफ लाईन वाटर फिल्टर	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा कंबल, हॉटकेस टीफिन, स्टील का डिनरसैट तथा ऑफ लाईन वाटर फिल्टर प्रदान किया जायेगा।
10.	इंडक्शन हीटर या सोलर कुकर	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक इंडक्शन हीटर या एक सोलर कुकर प्रदान किया जायेगा।
11.	सोलर लैम्प	दो माह की सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी को बोर्ड द्वारा एक सोलर लैम्प प्रदान किया जायेगा।
12	**उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बोर्ड विकलांगता पेंशन और श्रमिक ट्रांजिट छात्रावास सुविधा भी प्रदान कर रहा है।**		

अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम अधिकारी या बोर्ड के निम्न दूरभाष संख्याः– **0177–2629807, 2620256ए 2620210 और 2625084 से सम्पर्क कर सकते हैं।**

समस्त श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक हमीरपुर पंजीकरण हेतु प्राधिकृत है।